



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट- सी सं0 - 1629 वर्ष 2026

विजय कुमार तथा एक अन्य

..... याची(गण)

बनाम

उ0प्र0 राज्य तथा 9 अन्य

..... प्रत्यर्थी(गण)

याची (गण) के अधिवक्ता : मुकुल यादव, राजेश यादव

प्रत्यर्थी (गण) के अधिवक्ता : भूपेन्द्र कुमार त्रिपाठी, मुख्य स्थायी, अधिवक्ता

न्यायालय सं0 2

मा0 प्रकाश पाड़िया, न्यायमूर्ति

1. याची के विद्वान अधिवक्ता, प्रत्यर्थी-राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता, प्रत्यर्थी सं0 3 के विद्वान अधिवक्ता श्री बी0के0 त्रिपाठी को सुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया।
2. इसमें पारित किये जाने के लिए प्रस्तावित आदेश के दृष्टिगत प्रत्यर्थी/प्रत्यर्थीगण को नोटिस देने से तथा इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई लाभदायक उद्देश्य पूरा नहीं होगा। फिर भी, यदि प्रत्यर्थी/प्रत्यर्थीगण आदेश द्वारा व्यथित महसूस करते हैं तो आदेश का उपांतरण/परिवर्तन की मांग करने के इसके अधिकार को सुरक्षित रखा जा रहा है।
3. वर्तमान याचिका में याचीगण द्वारा ईप्सित मूलभूत अनुतोष प्रत्यर्थी सं0 2 उपखण्ड मजिस्ट्रेट, मछलीशहर को शीघ्रता से मामला सं0 टी202514360300 395 का विनिश्चय करने के संबंध में है।
4. याचीगण के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि यद्यपि पहले ही पर्याप्त समय बीत चुका है लेकिन आज की तिथि तक मामले में अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
5. मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों में, संबंधित न्यायालय को पूर्वोक्त अपील शीघ्रता से सर्वथा विधि के अनुसार तथा अनावश्यक स्थगन दिये बिना विनिश्चय करने का निदेश देते हुए वर्तमान याचिका को निपटाया जाता है जब तक कोई विधिक बाधा न हो।

जनवरी 20, 2026

(प्रकाश पाड़िया,

न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"